

Order sheet [Contd]

case No BA- 443/2017

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
03-01-18 12:00 P.M to 12:15 P.M.	<p>आवेदक / अभियुक्त रिकू द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता उप0। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0। आवेदक / अभियुक्त रिकू की ओर से उसके साले केशव के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 का है। इस आवेदन के अतिरिक्त इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए। आवेदक / अभियुक्त की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह आठ माह से न्यायिक निरोध में है। यदि वह अधिक दिनों तक जेल में रहा तो आवेदक का परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगा। प्रकरण में अभी आरोप विरचित नहीं हुआ है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 25 एवं 26.04.17 की रात्रि में फरियादी संतोष जाटव की हत्या भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड, सर्वा के पुरा के पास बी.एस.एन.एल टॉवर के कंपस में हो गई थी। दौरान विवेचना यह तथ्य सामने आए कि आवेदक रिकू, सहअभियुक्तगण बंटी उर्फ केशव राठौर, भूपेन्द्र गुर्जर, विजय राठौर, रामजीत, दौजी राठौर तथा बेताल कुशवाह ने मिलकर उक्त टॉवर से 24 बैटरियों की डकैती की थी। फरियादी के पिता रामस्नेही जाटव के विरोध करने पर उसकी मारपीट कर गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी।</p> <p>म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।</p> <p>इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण पूर्ववत् रामजीत व दौजी की उपस्थिति हेतु एवं बेताल के पूरक अभियोगपत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक 11.01.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)